प्रेस विज्ञप्ति बिजनौर पुलिस दिनांकः– 29.06.2021

स्वाट टीम/थाना हल्दौर पुलिस द्वारा हत्या का अनावरण, नाबालिग सहित 02 अभियुक्तगण घटना में प्रयुक्त तमंचे सहित गिरफ्तार।

दिनांक 26.06.2021 को प्रातः थाना हल्दौर क्षेत्रान्तर्गत अतापुर उर्फ खतापुर जाने वाले कच्चे रास्ते पर अज्ञात बदमाशो द्वारा राजबीर उर्फ बरम (दूधिया) की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। घटना के सम्बन्ध में मृतक की पत्नी श्रीमति राजो देवी निवासी ग्राम अतापुर उर्फ खतापुर थाना हल्दौर, जनपद बिजनौर की तहरीर पर **थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 183/2021 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।**

मेरे द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए शीघ्र अनावरण व संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु स्वाट टीम व थाना हल्दौर पुलिस को निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आये 1–हिमांशु उर्फ छोटे **(उम्र 21 वर्ष)** पुत्र उदल सिंह निवासी ग्राम मुकरपुर गदई थाना हीमपुर दीपा, बिजनौर को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा आज दिनांक 29.06.2021 को समय 05:45 बजे बालकिशन चौराहे से गिरफ्तार किया गया तथा 2–बाल अपचारी अनमोल **(उम्र 16 वर्ष)** पुत्र सुरेन्द्र सिंह उर्फ भूरे निवासी ग्राम मुकरपुर गदई थाना हीमपुर दीपा, जनपद बिजनौर को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। निशादेही पर घटना में प्रयुक्त से 01 तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस, 01 सोने का ओम व मृतक के पर्स बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त हिमांशु तथा बाल अपचारी अनमोल से की गयी पूछताछ में ज्ञात हुआ कि मृतक राजबीर सिंह उर्फ बरम का अनमोल की बहन से प्रेम प्रसंग था। कई बार मना करने के बाद भी मृतक राजबीर सिंह उर्फ बरम ने अनमोल की बहन से मिलना–जुलना नही छोडा। इसी बात को लेकर अनमोल के घर पर कई बार झगडा हो चुका है। दिनांक 24/25.06.2021 की रात्रि में अभियुक्त हिमांशु द्वारा मृतक राजबीर सिंह उर्फ बरम उपरोक्त को अनमोल के घर से निकलते देखा गया था। यह बात हिमांशु द्वारा अनमोल को बतायी जिस पर अनमोल नर्वस होकर कहने लगा कि परिवार की बहुत बदनामी हो गयी इससे अच्छा तो मर जाना सही है। इसके पश्चात

हिमांशु व अनमोल ने राजबीर सिंह उर्फ बरम को मारने की योजना बना ली थी तथा अनमोल के तहेरे भाई विशेष उर्फ बिसु को भी अपने साथ शामिल कर लिया। योजनाबद्ध तरीके से दिनांक 26.06.2021 को अतापुर उर्फ खतापुर जाने वाले कच्चे रास्ते पर **(जिससे राजबीर प्रतिदिन दूध के लिए जाता था)** तडके ही पहुँचकर राजबीर उपरोक्त का इंतजार करने लगे। जैसे ही राजबीर आया तो अनमोल ने उसे बातों में लगा लिया तथा हिमांशु और विशेष उर्फ बिसु द्वारा उसे गोली मार दी गयी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी। इसके पश्चात मृतक राजबीर की जेब से पर्स निकालकर पुलिया के पास घास में फैंक दिया। विशेष उर्फ बिसु घटना के बाद से ही फरार है, यह लोग भी कही जाने की योजना बना रहे थे तथा पकडे गये। **विशेष उर्फ बिसु उपरोक्त कि गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गयी है, लगातार प्रयास किये जा रहे है।**

मृतक का नाम–

राजबीर सिंह उर्फ बरम पुत्र श्री दलीप सिंह निवासी ग्राम अतापुर उर्फ खतापुर थाना हल्दौर, बिजनौर

पुलिस अभिरक्षा में लिये गये बाल अपचारी का नाम व पता–

1–अनमोल **(उम्र 16 वर्ष)** पुत्र सुरेन्द्र सिंह उर्फ भूरे निवासी ग्राम मुकरपुर गदई थाना हीमपुर दीपा, बिजनौर।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त नाम व पता–

1–हिमांशु उर्फ छोटे **(उम्र 21 वर्ष)** पुत्र उदल सिंह निवासी ग्राम मुकरपुर गदई थाना हीमपुर दीपा, बिजनौर।

फरार अभियुक्त का नाम व पता–

1–विशेष उर्फ बिसु पुत्र रमेश उर्फ मैसे उर्फ पहलवान निवासी ग्राम मुकरपुर गदई थाना हीमपुर दीपा, बिजनौर।

बरामदगी का विवरणः–

1– एक तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस

2– मृतक राजबीर सिंह उर्फ बरम द्वारा बाल अपचारी की बहन को दिया गया सोने का ओम

3– मृतक का पर्स, जिसमें बॉबी ज्वैलर्स से ओम खरीदारी का बिल, बाल अपचारी की बहन का फोटो, आधार कार्ड, 640/रूपये तथा अन्य कागजाद।

गिरफ्तार करने वाली टीम–

स्वाट टीम– उ0नि0 श्री संजय कुमार, हे0का0 राजकुमार नागर, का0 मो0 खालिद, का0 मोहित कुमार, का0 बेताब जावला, का0 अरुण कुमार, का0 रहीस अहमद, कां0 दीपक तोमर, का0 रंजीत कुमार, का0 विकास बैसला, का0 सुमित अहलावत, का0 मोनू कुमार

थाना हल्दौर पुलिस टीम– 1–प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील कुमार 2–उ0नि0 श्री अशोक कुमार 3–उ0नि0 श्री सुभाष चन्द बालियान 4–उ0नि0 श्री श्री विनोद कुमार 5–कां0 1573 नीरज कुमार 6–कां0 1491 संदीप कुमार 7–चालक कां0 466 शिशुवेन्द्र नागर, थाना हल्दौर, बिजनौर।

उत्सावर्धन हेतु पुरस्कार राशि– 5,000/रूपये

थाना रेहडः- थाना रेहड पुलिस थाना रेहड पर पंजीकृत मु0अ0सं0 69/2021 धारा 498ए/304 बी भादवी व 3/4 दहेज अधिनियम वांछित अभियुक्तगण 1. विवेक कुमार पुत्र स्वर्गीय मेघराज सिंह (पति) 2. कमलेश पत्नी स्वर्गीय मेघराज सिंह (सास) निवासी ग्राम अल्लेहपुर थाना रेहड जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना मंडावरः- थाना मंडावर पुलिस द्वारा थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 151/2021 धारा 323,504,506 IPC में नामजद अभियुक्तगण 1- अंकुल कुमार पुत्र विजय सिंह 2- अमन पुत्र मुकेश 3- मोहित पुत्र राकेश 4- जोगेंद्र सिंह पुत्र किशन सिंह निवासी ग्राम मोहनपुर थाना मंडावली जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना मंडावरः- थाना मंडावर पुलिस द्वारा अभियुक्त वीरेंद्र पुत्र बेनीराम उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम नारायणपुर थाना मंडावली जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना नजीबाबादः- थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा थाना नजीबाबाद के मु0अ0सं0 323/2021 धारा 323/504/324 भादवि के वांछित अभियुक्त अविनाश पुत्र ओतिराम नि0 मौ0 रम्पुरा कस्बा व थाना नजीबाबाद बिजनौर को रोडवेज बस स्टैण्ड नजीबाबाद से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना स्योहाराः- थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त परवेज पुत्र साबिर हुसैन निवासी मोहल्ला जुमेरात का बाजार कस्बा व थाना स्योहारा बिजनौर को अंतर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना नजीबाबादः- थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा 04 अभियुक्तगण 1. दीपक कुमार पुत्र खानचंद 2. कमल पुत्र राजपाल 3. सोनू उर्फ सुरेंद्र पुत्र पितांबर निवासीगण ग्राम इस्सेपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर 4. गौरव पुत्र चंद्रपाल सिंह निवासी ग्राम भोगपुर थाना नजीबाबाद को अंतर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।